स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 76, दिनांक–09–03–2024

उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से गो–तस्करी में वांछित अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भुट्टू अली गिरफ्तार।

दिनांकः 08–03–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0186/2022 धारा 332/353/307/302 भा0द0वि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी भुट्टू अली को जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– भुट्टू अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली टोला–तकिया वार्ड नम्बर–08 शुकुल नरहवा, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगीः–

1– 01 अदद तमंचा 12 बोर।
2– 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर।
3– 01 अदद मोबाइल फोन।
4– रूपये 600/–नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 08.03.2024 को समय लगभग 21.00 बजे रात्रि अहिरान मोड के पास कुकुत्था नदी, गोपालगंज–गोरखपुर हाइवे थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।

जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीरनगर एवं आस–पास के जनपदों से बिहार प्रान्त को गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0186/2022 धारा 332/353/307/302 भा0द0वि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य अभियुक्त भुट्टू अली उपरोक्त पर जनपद कुशीनगर से 25,000/– रूपये का पुरस्कार घोषित है। वह कुकुत्था नदी, अहिरान मोड के पास थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर आने वाला है। इस सूचना से स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर एवं थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर की टीम द्वारा दिनांक 08–03–2024 को उक्त वांछित/फरार अभियुक्त को अहिरान मोड

के पास थाना क्षेत्र तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोगकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त भुट्टू अली ने बताया कि उसका एक गिरोह है जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी का कार्य करता है। दिनांक 15–06–2022 को एक पिकप गाड़ी पशु लोड करके बिहार जा रही थी। थाना क्षेत्र पटहेरवा अन्तर्गत बैरियर पर उक्त पिकप गाड़ी को हे0कां0 धर्मवीर यादव द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर पिकप सवार तस्करों ने मु0आ0 को रौंदकर फरार हो गये, जिसमें हे0कां0 धर्मवीर यादव की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना तुर्कपट्टी–कुशीनगर में मु0अ0सं0 0186/2022 धारा 332/353/307/302 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>भुट्टू अली का आपराधिक इतिहास</u> :–

1– मु0अ0सं0 80/2022 धारा 307/419/420/467/468/471/472 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तमकुहीराज कुशीनगर।

2– मु0अ0सं0 100/2022 धारा 307 भा0द0वि0 थाना तमकुहीराज कुशीनगर।

3– मु0अ0सं0 186/2022 धारा 302/307/332/353 भा0द0वि0 थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर।

4– मु0अ0सं0 196/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बघौचघाट, देवरियझं

5– मु0अ0सं0 1059/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कसयॉ, कुशीनगर।

6– मु0अ0सं0 15/24 धारा 174ए भा0द0वि0 थाना तुर्कपट्टी, कुशीनगर।